संख्या-03/2025/ 283 /क0नि0प्र0/26-3-2025-1582574

प्रेषक

एल0 वेंकटेश्वर लू,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

महानगर, लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई,2025

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित ग्रामों में गैप फिलिंग फण्ड के कार्यो के लिए यू0पी0 सिडको के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के चयन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-471/आदर्श ग्रा0-योजना-अनु0/2025-26 दिनांक 19-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित ग्रामों में गैप फिलिंग फण्ड के कार्यो के लिए यू0पी0 सिडको के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के चयन से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत पी0एम0-अजय योजना की गाइडलाइन में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रस्तावित दस डोमेन के अन्तर्गत 50 मॉनिटरेबल इंडीकेटर है, जिनके सर्वेक्षण उपरांत विभिन्न सम्बन्धित विभागों के कन्वर्जेन्स से लाभार्थीपरक एवं अवसंरचनात्मक सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराते हुए 70 अंक तथा ओ०डी०एफ० प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आदर्श ग्राम घोषित किये जाने का प्राविधान है।

3- इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन में विभिन्न स्तरों की भूमिका निम्नवत् है:-

(1) **<u>ग्राम प्रधान:-</u>**

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम प्रधान पी०एम०ए०जी०वाई० समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम स्तर पर कार्यक्रम निदेशक होते हैं, जिनके निर्देशन में ग्राम की आवश्यकता के दृष्टिगत वी०डी०पी० में आवश्यक कार्यों का समावेश किया जाता है तथा ग्राम स्तरीय समिति में अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(2) **<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास):-</u>**

जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत सदस्य सचिव के रूप में काम करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चयनित ग्रामों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वी०डी०पी० तैयार कराना, ग्राम अभिसरण समिति से वी०डी०पी० के अनुमोदनोपरान्त जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु पत्रावली मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पत्रावली जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना तथा जिलाधिकारी (अध्यक्ष-डी0एल0पी0ए0सी0सी0) से अनुमोदित ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किये जाने हेतु पोर्टल पर कार्यवाही पूर्ण करना। उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर योजना के संचालन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण की समस्त जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 की है।

(3) **मुख्य विकास अधिकारी:-**

जनपद स्तर पर विकास सम्बन्धी कार्यों के प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पूर्णतया कन्वर्जेन्स योजना है। ऐसी स्थिति में कन्वर्जेन्स के समस्त कार्य जो प्रश्नगत योजनान्तर्गत अन्य विभागों (यथा ग्राम विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग तथा विद्युत विभाग आदि) से सम्बन्धित है, से पूर्ण कराकर चयनित ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित कराने में मुख्य विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से भी योजना के गैप फिलिंग सम्बन्धित कार्य कराये जाने में आने वाली समस्याओं जैसे कि जमीन की अनुपलब्धता, स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराने में भी मुख्य विकास अधिकारी की अहम भूमिका रहती है।

(4) **जिलाधिकारी:-**

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के कार्यक्रम निदेशक तथा जनपद स्तरीय समिति (डी०एल०पी०ए०सी०सी०) के अध्यक्ष होते हैं, जिसके निर्देशन में योजना का सम्पूर्ण कियान्वयन तथा चयनित ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित करने में भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

(5) **उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0:-**

(1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डी०एल०पी०ए०सी०सी० द्वारा अनुमोदित डी०पी०आर० के अनुसार जनपद से धनराशि मांग का पत्र प्राप्त होने पर धनावंटन करना।

(2) वी०डी०पी० के अन्तर्गत पूर्व में उल्लिखित कार्यों में संशोधन हेतु वी०डी०पी० लॉक /अनलॉक करने की कार्यवाही करना।

(3) योजनान्तर्गत समय-समय पर आवश्यकता के दृष्टिगत जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कार्यवाही।

(4) जिलाधिकारी स्तर से योजनान्तर्गत आदर्श ग्राम घोषित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर चयनित ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करने की कार्यवाही करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) शासन स्तर से योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु पत्राचार करना। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर जनपदों को परिचालित किये जाने की कार्यवाही।

(6) योजना के संचालन हेतु राज्य/भारत सरकार से समन्वय का कार्य।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-949/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/2018टी0सी0 दिनांक 07-10-2021 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको के स्थान पर पी0एम0-अजय योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अवशेष चिन्हित ग्रामों में गैप फिलिंग के कार्यो हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था के रूप में निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन नामित किया जाता है:-

(क) संबंधित ग्राम पंचायतों को गैप फिलिंग कार्य कराने हेतु कोई सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

(ख) ग्राम पंचायतों द्वारा गैप फिलिंग मद के समस्त कार्य जिलाधिकारी (अध्यक्ष-डी0एल0 पी0ए0सी0सी0) के पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्वक सम्पादित किये जायेगें।

(ग) कार्यदायी संस्था होने के नाते ग्राम पंचायत से गैप फिलिंग आधारित कार्य कराये जाने हेतु डी०पी०आर० बनवाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर से सम्पादित की जायेगी।

(घ) ग्राम पंचायत को धनराशि हस्तानान्तरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी(स0क0)/ सहायक विकास अधिकारी(स0क0) के ज्वाइन्ट एकाउन्ट में जनपद के चाइल्ड एस0एन0ए0 खाते के माध्यम से किया जायेगा। इस खाते का क्रियान्वयन एवं मिलान ग्राम विकास अधिकारी(स0क0)/ सहायक विकास अधिकारी(स0क0) द्वारा किया जायेगा तथा उसकी सूचना प्रतिमाह जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ङ) कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र जी0एफ0आर0-2017 के नियमानुसार निर्धारित प्रारूप 12 सी पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी(स0क0)/ सहायक विकास अधिकारी(स0क0) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) अपने हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगें।

(च) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक मद की धनराशि से वी०डी०पी० निर्माण, योजना के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० (अनुगम) ही नोडल एजेन्सी के रूप में समस्त कार्य सम्पादित करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कृपया प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- उक्त शासनादेश संख्या-949/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/ 2018 टी0सी0 दिनांक 07-10-2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वं0प्र0), समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

4- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5- पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चिन्हित ग्रामों के ग्राम प्रधानों को । (द्वारा प्रबन्ध निदेशक, अनुगम एवं संबंधित जनपद के जिलाधिकारी)

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश(द्वारा प्रबन्ध निदेशक,अनुगम) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता की मानीटरिंग जिला स्तर पर गठित डी0एल0पी0ए0सी0सी0 द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

8- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू.पी. सिडको) गोमती नगर, लखनऊ।

9- निदेशक, पंचायतीराज विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

10-निदेशक, समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/ वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

12- समाज कल्याण अनुभाग-3 / बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीता चौधरी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in